

डा0 अम्बेड़कर मेधावी छात्र संशोधित योजना – 2017-18

- 1- अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु व टपरीवास जातियों के छात्रों से डा0 अम्बेड़कर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिये जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.00 लाख रुपये से कम हो आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।
- 2-आवेदन पत्र और पात्रता मापदण्ड विभागीय वैब साईट (www.haryanascbc.gov.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- 3-आवश्यक दास्तावेजो के साथ पूर्ण आवेदन सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी को 28-02-2018 तक या उससे पहले जमा करवा सकते हैं।
- 4-तुरन्त आवेदन करे एवं अपने दस्तावेज जिला कल्याण अधिकारी से सत्यापित करवाये और विभाग आगामी दस दिनो में आपकी छात्रवृति की राशि जारी करना सुनिश्चित करेगा।

गीता भारती, भा0प्र0से0
निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़